महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

अंतिम तिथि : 31.03.2022 1700 बजे तक
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतिम तिथि 07.04.2022 1700 बजे तक

केऔसुब में खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर उत्कृष्ट पुरूष तथा महिला खिलाड़ियों की भर्ती–2021

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वर्ष 2021 के लिए **खेल कोटे** के अंतर्गत **प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)** की **249** रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय **पुरूष/महिला** नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। रिक्तियों के खेलवार ब्यौरे निम्नानुसार है :–

क.सं.	खेल/ विशिष्टता	पुरूष रिक्ति		महिला रिक्ति	
		स्पर्धा/खेलकूद/भार श्रेणी		स्पर्धा/खेलकूद/भार श्रेणी	
1.	एथलेटिक्स्	100 मीटर	01	100 मीटर	01
		200 मीटर	03	200 मीटर	02
		400 मीटर	02	400 मीटर	01
		800 मीटर	02	800 मीटर	03
		1500 मीटर	03	1500 मीटर	03
		3000 मीटर (एससी)	02	3000 मीटर (एससी)	03
		5000 मीटर	03	5000 मीटर	01
		10000 मीटर	03	10000 मीटर	02
		मैराथन	03	10 किमी पैदल	02
		20 किमी पैदल	03	100 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	02
		110 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	02	400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03
		400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03	4 X 100 मीटर रिले	04
		4 X 100 मीटर रिले	04	4 X 400 मीटर रिले	04
		4 X 400 मीटर रिले	04	चक्का फेंक (डिस्कस् थ्रो)	01
		गोला फेंक (शॉट पुट)	02	हथौड़ा फेंक (हम्मर थ्रो)	01
		हथौड़ा फेंक (हैम्मर थ्रो)	02	भाला फेंक (जेवलिन थ्रो)	01
		भाला फेंक (जेवलिन थ्रो)	01	लंबी कूद	01
		डेकाथलॉन	02	ऊंची कूद	01
		लंबी कूद	01	पोल वॉल्ट	02
		ऊंची कूद	02		
		ट्रिपल जंप	03		
		पोल वॉल्ट	01		
2.	बॉक्सिंग	48 किग्रा	01	48 किग्रा	01
		51 किग्रा	01	54 किग्रा	01
		54 किग्रा	01	57 किग्रा	01
		63.5 किग्रा	01	60 किग्रा	01
		80 किग्रा	01	63 किग्रा	01
		86 किग्रा	01	66 किग्रा	01
		92 किग्रा	01	70 किग्रा	01
		92 किग्रा से अधिक	01	75 किग्रा	01
				81 किग्रा	01
				81 किग्रा से अधिक	01
3.	बास्केट बॉल	बास्केट बॉल	08		
4.	जिम्नास्टिक	जिम्नास्टिक	05		
5.	फुटबॉल	फुटबॉल	10		
6.	हॉकी	हॉकी	15		

क.सं.	खेल / विशिष्टता	पुरूष रिक्ति		महिला रिक्ति	
		स्पर्धा / खेलकूद / भार श्रेणी		स्पर्धा / खेलकूद / भार श्रेणी	
7.	हैंडबॉल	हैंडबॉल	06		
8.	जूडो	66 किग्रा	02	70 किग्रा	02
		73 किग्रा	01	78 किग्रा से अधिक	02
		81 किग्रा	02		
		90 किग्रा	01		
		100 किग्रा	01		
9.	कबड्डी	कबड्डी	07	कबड्डी	08
10.	शूटिंग	राईफल	02	राईफल	01
		पिस्टल	01		
11.	तैराकी	50 मी., 100 मी., 200 मी., 400 मी., 800 मी., 1500 मी. (फ्री स्टाईल)	03		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (ब्रेस्ट स्ट्रोक)	03		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (बैक स्ट्रोक)	03		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (बटरफ्लाई)	02		
		1 मी. (स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग)	02		
		3 मी. (स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग)	02		
		हाई बोर्ड डाइविंग	02		
12.	बालीबॉल	बालीबॉल	05		
13.	भारोत्तोलन	55 किग्रा	02	45 किग्रा	01
		61 किग्रा	01	59 किग्रा	01
		67 किग्रा	02	64 किग्रा	01
		73 किग्रा	02	71 किग्रा	01
		81 किग्रा	02	76 किग्रा	01
		89 किग्रा	01	87 किग्रा	01
		96 किग्रा	02	87 किग्रा से अधिक	01
		102 किग्रा	02		
		109 किग्रा	01		
		109 किग्रा से अधिक	01		
14.	कुश्ती	55 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		60 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		82 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		87 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		97 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		125 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		70 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		74 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		86 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		97 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		125 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
15.	ताईक्वांडो	54 किग्रा	01		
		58 किग्रा	01		
		63 किग्रा	01		
		68 किग्रा	01		
		74 किग्रा	01		
		80 किग्रा	01		
		87 किग्रा	01		
		87 किग्रा से अधिक	01		
		कुल योग	**181**		**68**

नोटः–

(i) उपरोक्त दर्शाई गई प्रत्येक स्पर्धा में रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और भर्ती के किसी भी चरण में प्रषासनिक कारणों के कारण परिवर्तित हो सकती है। रिक्तियों में परिवर्तन संबंधी सूचना यदि कोई है तो उसे सीआईएसएफ भर्ती वेबसाईट https://www.cisfrectt.in पर अपलोड कर दिया जाएगा।

(ii) पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके स्थायी किए जाने की संभावना है।

(iii) भर्ती केवल प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए है जो पैरा–5 (ङ) के अनुसार मेडल विजेता/पोजीषन और/अथवा प्रतिभागी हैं।

(iv) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में और विदेष में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(v) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बगैर कोई कारण बताए किसी भी चरण में भर्ती को निरस्त अथवा स्थगित कर सकता है।

02. **<u>वेतनमान एवं अन्य भत्तेः</u>**

प्रधान आरक्षक (जीडी) – पे मेट्रिक्स स्तर–4, (रू. 25,500 से 81,100/–) के साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर यथा स्वीकार्य सामान्य भत्ते।

03. सभी चयनित अभ्यर्थी 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही **नई पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंषन प्रणाली)** द्वारा अधिषासित होंगे।

04. **<u>अधिवास स्थिति</u>** :– अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

05. **<u>पात्रता मानदंड</u>** :– केवल वे अभ्यर्थी जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे वे ही इन रिक्तियों के अधीन भर्ती के पात्र होंगे।

क. <u>आयु सीमा</u> :– 01.08.2021 को 18 से 23 वर्ष के बीच। (अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1998 से पहले और 01.08.2003 के बाद का नहीं होना चाहिए।)

<u>टिप्पणी :–</u>

(i) 01.08.2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्षों की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षों की छूट, विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवष्य सुनिष्चित करना चाहिए कि उनके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र हो और वे एक विषिष्ट तिथि को क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि अर्थात् **<u>31.03.2022</u>** होगी। उपरोक्त के संबंध में, अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी अनंतिम होगी जब तक की सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की जांच नहीं कर ली जाती हैं।

(iii) आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को **परिषिष्ट–'ज' एवं 'झ'** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एनसीएल के स्तर के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **<u>31.03.2022</u>** होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करना होगा कि उनकी अभ्यर्थिता सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी।

(v) उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों यह भी नोट करना चाहिए कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं कर ली जाती है, उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्तर के उनके दावे अथवा अन्य किसी लाभ को धोखे से प्राप्त किया गया पाया जाएगा।

ख. शैक्षणिक अर्हताः – खेलों, खेलकूद और एथलेटिक्स में राज्य/राष्ट्रीय/अतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास।

ग. शारीरिक मानकः–

	i) कद एवं सीना	**पुरूष**		**महिला**	
		कद सेमी में	**सीना सेमी में**	**कद सेमी में**	**सीना सेमी में**
	सभी अभ्यर्थियों के लिए	167	81–86	153	लागू नहीं
	छूट :– क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंनी डोगरा, मराठा और आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	160	81–86	153	लागू नहीं
	दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रषासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैं:– (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग–1 (10) पंतापति जंगल–1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट–2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक हिल जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया।	160	81–86	153	लागू नहीं
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160	81–86	153	लागू नहीं
	ii) भार :–	**चिकित्सा मानकों के अनुसार पुरूष तथा महिलाओं के कद तथा आयु के समानुपात। वज़न का भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वज़न के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा।**			

नोट : क) ऊपर उल्लिखित के अनुसार कद और सीने में छूट केवल सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगी कि अभ्यर्थी ऊपर वर्णित समुदाय/क्षेत्र से संबंध रखता है।

घ. चिकित्सा मानक :–

i) चयनित किए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यार्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू. ओ. संख्या ए–VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.–32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और समय समय पर यथा संषोधित द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के लिए समरूप दिषा–निर्देषों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।

ii) अभ्यर्थियों के घुटने मुड़े हुए, समतल पैर, धनुष के आकार के पैर, भेंगापन, बाएं आंख को बंद करने में असमर्थता, अक्सर उंगलियों को मोड़ने में असमर्थता, फूली हुई नसें और कोई भी अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए।

iii) <u>**नेत्र दृष्टि**</u> :

क) दृष्य तीक्ष्णता बिना चष्में के (निकट दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – एन 6
खराब दृष्टि – एन 9

ख) बिना सुधार के दृष्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – 6/6
खराब दृष्टि – 6/9

ग) अपवर्तन – चष्में के साथ भी किसी भी प्रकार का दृष्यात्मक शोधन अनुमत नहीं है।

घ) रंगदृष्टि – आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी–।।।

ड़) दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दायी आंख की दृष्टि बेहतर होगी और इसके विलोमतः।

च) द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

iv) **भार : श**ारीरिक मापन के दौरान भार को रिकार्ड किया जाएगा परंतु भार के आधार पर फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय लिया जाएगा।

v) <u>**टैटू**</u> **:** टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:–

क) **सामग्री** : एक धर्म निरपेक्ष देष होने के नाते, हमारे देषवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्षाने वाले चिह्न, भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार, अनुमत होंगे।

ख) **स्थान** : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है।

ग) **आकार** : शरीर के विषेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।

ड. <u>**खेलों में प्रवीणता**</u> :–

	खेलकूद योग्यता	<u>**खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए**</u>
	व्यक्तिगत स्पर्धा	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनषिप में सीनियर/जूनियर स्तर पर मेडल जीतने वाला प्रदर्षन किया हो अथवा iii) राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनषिप में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iv) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में कोई पदक जीता हो अथवा v) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनषिप में स्वर्ण पदक।
	टीम स्पर्धा	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सीनियर/जूनियर स्तर पर कोई पदक जीता हो अथवा iii) राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनषिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर/जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iv) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो अथवा v) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनषिप में स्वर्ण पदक जीता हो **टिप्पणी – खिलाड़ी टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए।**

नोटः –

i) वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवष्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन पत्र भरने की आवष्यकता नहीं है।

ii) अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेषन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए किसी तदनुरूपी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iii) केवल वे प्रतिभावान पुरूष एवं महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने **<u>01.01.2019 से 31.03.2022</u> की अवधि के दौरान चैम्पियनषिप में भाग लिया है अथवा किसी टूर्नामेंट/प्रतियोगिता/खेलों (यथालागू) के किसी अंतिम संस्करण में भाग लिया है, वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।**

iv) एक आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी एक प्रतियोगिता/टूर्नामेंट/खेल में प्रतिनिधित्व करने पर प्राप्त किया हो।

v) भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएषन/संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेषन/युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर ही विचार किया जाएगा।

vi) निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण–पत्र (प्रपत्र) पर पैरा 6 में यथा उल्लिखित प्राधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

06.	**<u>प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी के ब्यौरे निम्नानुसार हैंः–</u>**			
	क्र.स.	**प्रतियोगिता**	**प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी**	**प्रारूप**
	1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट–'क'
	2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेलों के राज्य फेडरेषन का सचिव।	परिशिष्ट–'ख'
	3.	अंतर–विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	खेलों का अध्यक्ष अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट–'ग'
	4.	राष्ट्रीय खेल/ स्कूलों के लिए	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट–'घ'
	5.	शारीरिक क्षमता अभियान/प्रदर्षन	शिक्षण और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में शारीरिक दक्षता के समग्र प्रभार में सचिव अथवा अन्य अधिकारी।	परिशिष्ट–'ड़'

<u>नोट</u> :–

i) उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यता प्राप्त परिसंघों/फेडरेषनों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।

ii) यदि राष्ट्रीय फेडरेषन/राष्ट्रीय संगठन/राज्य संगठन में सचिव का पद नहीं है तो वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित खेल परिसंघों/संगठनों में सचिव से वरिष्ठ/से समतुल्य पदधारी द्वारा प्रमाण–पत्र/प्रपत्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें भर्ती के लिए प्रतिभावान पुरूष एवं महिला खिलाड़ियों की पात्रता पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

07. <u>चयन प्रक्रिया</u> :–

वे सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि और समय तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते हैं और जिनके आवेदन पत्रों को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और जिन्हें इस अधिसूचना के नियम एवं शर्तों के अनुसार ठीक पाया जाता है, उन्हें रोल नंबर प्रदान किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया अर्थात् शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज़ीकरण, जांच परीक्षण और दक्षता परीक्षण में शामिल होने के लिए बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। तदनुसार, चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों अर्थात् चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी को भर्ती की निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा :–

क) शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)

i) पीएसटी प्रारंभ होने से पहले सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक कैप्चर सहित पहचान के सत्यापन से गुजरना होगा। अभ्यर्थी की बॉयोमेट्रिक पहचान, भर्ती के किसी भी चरण में की जा सकती है।

ii) भर्ती के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों के कद, सीने और वजन का माप अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा। **वे अभ्यर्थी जो निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया से एक रद्दीकरण पर्ची देते हुए बाहर कर दिया जाएगा।** तथापि, चिकित्सा परीक्षण के समय वज़न के आधार पर बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक मानकों को उपरोक्त पैरा 5 (ग) में विस्तार से दिया गया है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा, कद और सीने (जैसा मामला हो) में छूट उपरोक्त पैरा 5 (ग) में यथाउल्लिखित अभ्यर्थी के जिले जहां पर वह रह रहा है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा **परिषिष्ट– 'च'** में यथानिर्धारित प्रपत्र में मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ ले सकते हैं।

iii) **वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो शारीरिक मापन में अपने चयन न किए जाने के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी को एक अपील कर सकते हैं।** ऐसे अभ्यर्थियों का मापन उसी दिन अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः मापन के लिए एक नई तिथि पर किया जाएगा। इस संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील अथवा अभ्यावेदन पर तत्पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानक के तहत पाया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चयन में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा।

iv) पीएसटी का संचालन करने की एकमात्र जिम्मेवारी पीएसटी बोर्ड और अपीलीय प्राधिकारी की होगी। सीआईएसएफ निदेशालय पीएसटी बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन/अपील आदि पर विचार नहीं करेगा।

ख) दस्तावेजीकरण :–

i) पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पैरा 5(ड़) के अनुसार अपनी आयु, षिक्षा, जाति, खेलकूद संबंधी उपलब्धियों के संबंध में सभी मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा जिससे वे भर्ती बोर्ड के सामने निर्धारित प्रपत्र में आयु और कद में छूट आदि का प्रमाण देते हुए इसका लाभ उठा सकें।

ii) सीआईएसएफ अपने विवेक पर भर्ती के दौरान अथवा बाद के चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र की सत्यता की जांच अथवा उसे सत्यापित करवा सकती है और सीआईएसएफ का निर्णय ऐसे सत्यापन/जांच के पश्चात अंतिम होगा।

iii) अभ्यर्थी जो अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक रद्दीकरण पर्ची देतु हुए भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।

iv) दस्तावेजीकरण में रद्दीकरण के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

ग) ट्रॉयल परीक्षण

i) पीएसटी और दस्तावेजीकरण में अर्हक घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेल कूद प्रतियोगिता जिससे वे संबंधित हैं, में 20 अंकों का ट्रॉयल परीक्षण देना होगा। ट्रॉयल परीक्षण अर्हक होगा।

ii) यद्यपि ट्रॉयल परीक्षण अर्हक है और मैरिट अभ्यर्थी द्वारा दक्षता परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, तथापि, सभी स्पर्धाओं के लिए ट्रॉयल परीक्षण में न्यूनतम कट–ऑफ अंक 10 अंक होंगे जिसे सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

iii) अभ्यर्थी जो ट्रॉयल परीक्षण में न्यूनतम कट–आफ अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें भर्ती प्रक्रिया से भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक रद्दीकरण पर्ची देकर बाहर कर दिया जाएगा।

iv) ट्रॉयल परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने के लिए किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

v) सीआईएसएफ ट्रॉयल परीक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी की दुर्घटना, अथवा उसे लगी चोट के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

घ) दक्षता परीक्षा

i) ट्रॉयल परीक्षण में अर्हक घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेलकूद स्पर्धा जिससे वे संबंधित हैं, में 40 अंकों के दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा।

ii) सभी स्पर्धाओं/खेलकूद के लिए दक्षता परीक्षण में न्यूनतम कटऑफ अंक 20 अंक होंगे जिसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाना होगा।

iii) अभ्यर्थी जो दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक रद्दीकरण पर्ची दी जाएगीं।

iv) संबंधित खेलकूद गतिविधियों में प्रतिभावान प्रमाण–पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को 10 में से अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।

v) दक्षता परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi) सीआईएसएफ दक्षता परीक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी की दुर्घटना, अथवा उसे लगी चोट के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

ड़) अंतिम चयन सूची की तैयारी :–

i) दक्षता परीक्षण के पूरा होने के पष्चात, दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों के प्रदर्षन को ध्यान में रखते हुए उन अंकों को सटीकता से ध्यान में रखते हुए वरीयता सूची को तैयार किया जाएगा और संबंधित खेलकूद स्पर्धाओं में प्रतिभा प्रमाण–पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थी को अंक प्रदान किए जाएंगे।

ii) अभ्यर्थी को **01.01.2019 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान अथवा किसी टूर्नामेंट/प्रतियोगिता/ खेल (यथालागू)** के अंतिम संस्करण में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक विषेष प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, खेल में एक से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं, उस मामले में उसे प्रतियोगिता/टूर्नामेंट/खेल में प्राप्त केवल एक उच्चतम मेडल/स्थान के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे।

iii) अलग–अलग अभ्यर्थियों के साथ–साथ टीम स्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगीः–

क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	**ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप**
1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता
2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता
3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता

iv) यदि फिर भी टाई रहती है, कम उम्र के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी।

v) यदि फिर भी टाई रहती है, अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम को वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी।

vi) अंतिम चयन सूची को सीआईएसएफ भर्ती वेबसाईट https://cisfrectt.in पर भर्ती के पूर्ण होने की तिथि के बाद उपयुक्त समय के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

vii) कोई भी प्रतिक्षा सूची नहीं रखी जाएगी।

च) चिकित्सीय परीक्षण :–

i) रिक्तियों की संख्या के समान वरीयता के क्रम में गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी चिकित्सा दिषा–निर्देषों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा।

ii) विभाग को प्रत्येक खेल/प्रतियोगिता के लिए आबंटित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेलों/स्पर्धाओं से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अर्हक अंकों को निर्धारित करने का विषेषाधिकार रहेगा।

iii) तथापि, चिकित्सा परीक्षण में बुलाए जाने और फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं रहेगा कि उन्हें अंतिम चयन का अधिकारी मिल गया है। इस प्रकार ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) अभ्यर्थियों को **फिट अथवा अनफिट** घोषित किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।

v) सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसको विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा (डीएमई) में नियुक्ति हेतु चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है, उसको चिकित्सा जांच अधिकारी द्वारा व्यापक संदर्भ में लिखित में अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को रिव्यू चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बषर्ते वे अयोग्य होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें।

vi) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति डीएमई में इसके अयोग्य होने की घोषणा के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

vii) रिव्यू चिकित्सा परीक्षण में रिव्यू चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा के परिणामों के विरूद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

08. <u>आवेदन कैसे करें :</u>

अभ्यर्थी कॉलम 1 में उल्लिखित स्पर्धाओं के लिए कॉलम 2 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित प्राधिकारी के पास नीचे दिए गए कॉलम 3 के तहत उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में देय **पोस्टल आर्डर/भारतीय स्टेट बैंक से डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में 100 रू. (एक सौ रूपए केवल) के आवेदन–शुल्क के साथ और कॉलम 4 में दर्षाए गए डाक घर/बैंक में देय के साथ **अनुलग्नक**–1 भेजें ताकि **31.03.2022 (षाम 05:00 बजे)** तक पहुंच जाए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ **07.04.2022 (षाम 05:00 बजे)** तक पहुंच जाए। **अजा/अजजा और महिला अभ्यर्थियों** को आवेदन शुल्क भरने से छूट प्राप्त है।

नोट :–

i) भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

ii) पोस्टल आर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट के अलावा अन्य तरीकों से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे और किया गया भुगतान जब्त हो जाएगा।

iii) भारतीय स्टेट बैंक के अलावा बैंक ड्रॉफ्ट स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे अभ्यार्थियों के आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा किया गया भुगतान जब्त हो जाएगा।

स्पर्धा	अधिकारी का नाम जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना है।	वह अधिकारी जिसके पक्ष में आवेदन शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट दिया जाना अपेक्षित है।	डाकघर/बैंक का नाम जहां पर पोस्टर आर्डर/बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
(1)	(2)	(3)	(4)
एथलेटिक्स	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107	उप कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ मध्य क्षेत्र मुख्यालय, भिलाई।	सिविक सेंटर भिलाई, पिन – 490006/ एसबीआई मुख्य शाखा सेक्टर–I, भिलाई (कोड संख्या – 0330)
बॉक्सिंग	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (उत्तरी क्षेत्र–1) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, महिपालपुर, पोस्ट– महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ उत्तरी क्षेत्र–1 मुख्यालय, महिपालपुर	जीपीओ नई दिल्ली/ एसबीआई सेंतूर होटल, आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली (कोड संख्या – 08087)
बास्केटबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद, पोस्ट–षिप्रा सन सिटी, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेष– 201014	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद	प्रधान डाकघर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, उत्तर प्रदेष, पिन– 201001/एसबीआई अहिंसा खंड, गाजियाबाद (कोड संख्या – 15468)

स्पर्धा	अधिकारी का नाम जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना है।	वह अधिकारी जिसके पक्ष में आवेदन शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट दिया जाना अपेक्षित है।	डाकघर/बैंक का नाम जहां पर पोस्टर आर्डर/बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
(1)	(2)	(3)	(4)
जिम्नास्टिक	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (उत्तरी क्षेत्र–1) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, महिपालपुर, पोस्ट– महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ उत्तरी क्षेत्र–1 मुख्यालय महिपालपुर	जीपीओ नई दिल्ली/ एसबीआई सेंतूर होटल, आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली (कोड संख्या– 08087)
फुटबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (दक्षिण पूर्व क्षेत्र–1) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनषिप (कस्बा), कोलकाता –700107, पष्चिम बंगाल	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ, दक्षिण पूर्व क्षेत्र–1 मुख्यालय, कोलकाता	जीपीओ कोलकाता/ एसबीआई विकास भवन (कोड संख्या – 007816)
हॉकी	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद, पोस्ट – षिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेष – 201014	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद	प्रधान डाकघर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, उत्तर प्रदेष, पिन– 201001/एसबीआई अहिंसा खंड, गाजियाबाद (कोड संख्या – 15468)
हैंडबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107	उप कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ मध्य क्षेत्र मुख्यालय, भिलाई।	सिविक सेंटर भिलाई, पिन – 490006/ एसबीआई भिलाई सेक्टर–I, (कोड संख्या – 000330)
जूडो	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई, जिला – रायगढ़, महाराष्ट्र – 410210	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, खारघर, नवी मुंबई।	प्रधान डाकघर मुंबई/एसबीआई सेक्टर–35, खारघर, (कोड संख्या – 15972)
कबड्डी	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई, जिला – रायगढ़, महाराष्ट्र – 410210	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, खारघर, नवी मुंबई।	प्रधान डाकघर मुंबई/एसबीआई सेक्टर–35, खारघर, (कोड संख्या – 15972)
शूटिंग	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई, जिला – रायगढ़, महाराष्ट्र – 410210	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ (पष्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, खारघर, नवी मुंबई।	प्रधान डाकघर मुंबई/एसबीआई सेक्टर–35, खारघर, (कोड संख्या – 15972)
तैराकी	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई, तमिलनाडु – 600090	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नई	जीपीओ चेन्नई/एसबीआई बेसंत नगर, चेन्नई (कोड संख्या – 003274)
वॉलीबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (दक्षिण पूर्व क्षेत्र–1) परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनषिप (कस्बा), कोलकाता –700107	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ, दक्षिण पूर्व क्षेत्र–1 मुख्यालय, कोलकाता	जीपीओ कोलकाता/ एसबीआई विकास भवन (कोड संख्या – 007816)
भारोत्तोलन	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद, पोस्ट – षिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेष – 201014	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद	प्रधान डाकघर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, उत्तर प्रदेष, पिन– 201001/एसबीआई अहिंसा खंड, गाजियाबाद (कोड संख्या – 15468)

स्पर्धा	अधिकारी का नाम जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना है।	वह अधिकारी जिसके पक्ष में आवेदन शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट दिया जाना अपेक्षित है।	डाकघर/बैंक का नाम जहां पर पोस्टर आर्डर/बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
(1)	(2)	(3)	(4)
कुश्ती	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (उत्तरी क्षेत्र–1) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर, महिपालपुर, पोस्ट– महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ उत्तरी क्षेत्र–1 मुख्यालय, महिपालपुर	जीपीओ नई दिल्ली/ एसबीआई सेंतूर होटल, आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली (कोड संख्या– 08087)
ताईक्वांडो	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई, तमिलनाडु –600090	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ, सीआईएसएफ दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नई	जीपीओ चेन्नई/एसबीआई बेसंत नगर, चेन्नई (कोड संख्या – 003274)

टिप्पणी :– अभ्यर्थी को अपना आवेदन स्पर्धा/खेल के सामने उल्लिखित प्राधिकारी को ही प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. <u>निर्णय :–</u>

योग्यता, आवेदनों की स्वीकार्यता अथवा अस्वीकार्यता, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का संचालन, भर्ती केन्द्रों का आबंटन और वरीयता सूची की तैयारी से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. <u>न्यायालय के क्षेत्राधिकार</u> :–

इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद उस शहर/कस्बे में स्थित न्यायालय/प्राधिकरण के अधीन होगा जिसमें सीआईएसएफ का संबंधित भर्ती केन्द्र है अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया है।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वूपर्ण निर्देष</u> :–

1) खेल, स्पर्धा और एथलेटिक्स में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के साथ किसी **मान्यता प्राप्त बोर्ड शैक्षणिक संस्थान से 12वीं पास** न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, जांच परीक्षा, दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल है।

2) **आवेदन–पत्र पर उन साक्ष्यों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जो आवेदक किसी प्रतियोगिता/टूर्नामेंट/स्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने के बाद प्रस्तुत कर सकता है।** केवल युवा मामले मंत्रालय और भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक फेडरेषन/संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा मान्यता प्राप्त खेलों/स्पर्धाओं पर विचार किया जाएगा।

3) केवल पात्र उम्मीदवार ही उपरोक्त पद के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में **अनुलग्नक –1** के रूप में आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन और उपरोक्त वर्णित प्राधिकारियों के अलावा अन्य प्राधिकारी को जमा करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना में सभी प्रावधानों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वे उस पद के लिए पात्र हैं जिसके लिए वे आयु, शैक्षिक योग्यता, खेल आदि की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर रहे हैं। इस विभाग द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

4) अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मैट्रिक/12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज़ सत्यापन के समय या सीआईएसएफ के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। परिवर्तन के मामले में, इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत जाना चाहिए अन्यथा दस्तावेज़ सत्यापन के समय या सीआईएसएफ के ध्यान में आने पर उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाणपत्रों में सही नाम परिलक्षित होना चाहिए।

5) आवेदन पत्र को अभ्यर्थी द्वारा अपनी लिखावट में भरा जाना चाहिए। यदि कोई सुधार हो तो यह पठनीय होना चाहिए और अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध, एक बार जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, आवेदन भेजने से पहले सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

6) आवेदन–पत्र को केवल अंग्रेजी या हिंदी में भरा जा सकता है।

7) आवेदन पत्र विधिवत रूप से निर्धारित प्रोफार्मा में **अनुलग्नक–1** के रूप में भरा हुआ और **अनुलग्नक –2** के अनुसार प्रवेष–पत्र के साथ हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ विधिवत रूप से स्व–सत्यापित (**अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं**) होना चाहिए, को उपरोक्त पैरा –8 में यथा उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी को **31.03.2022 (शाम 05:00 बजे**) तक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में **07.04.2022 (शाम 05:00 बजे)** तक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जा सकता है।

i) i) ऊपर पैरा –8 में दी गई तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित अधिकारियों के पक्ष में आहरित आवेदन शुल्क के कारण अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 100/– रुपये (केवल एक सौ रुपये) क्रॉस किया हुआ अप्रतिदेय भारतीय पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट तथा कॉलम 4 में दिखाए अनुसार डाकघर में देय हो। आवेदन शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि आवेदन खारिज कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक से पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट के अलावा आवेदन शुल्क के अन्य भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ii) महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई आवेदन शुल्क लागू नहीं है।

iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा जारी किए गए आयु और शैक्षिक योग्यता, खेल प्रमाण पत्रों आदि के प्रमाण के रूप में शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की फोटोस्टेट प्रतियां और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए **परिशिष्ट–'क' से 'ड़'** के अनुसार प्रपत्र, विधिवत रूप से अभ्यर्थी द्वारा स्व–सत्यापित करके संलग्न किए जाएं।

iv) अधिसूचना के **परिशिष्ट–'ज', 'झ' और 'ञ'** के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतियां अभ्यार्थी द्वारा विधिवत रुप से स्व सत्यापित करके संलग्न की जानी चाहिए।

v) अधिसूचना के **परिशिष्ट 'च'** के अनुसार ,गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और आदिवासियों की श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों को कद और सीने में छूट पाने के लिए डीएम/एसडीएम/तहसीलदार या केंद्र सरकार के अधिकृत समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

vi) दो अतिरिक्त स्व–हस्ताक्षरित (सामने) पासपोर्ट आकार के फोटो विधिवत दिनांकित (**अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराने नहीं**) को आवेदन पत्र के साथ विधिवत क्लिप करके संलग्न करना आवश्यक है।

vii) **परिशिष्ट–'छ**' के अनुसार प्रश्नावली अभ्यर्थी द्वारा विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

viii) **अनुलग्नक–'3**' के अनुसार सीआईएसएफ कर्मियों सहित सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का प्रपत्र।

ix) उनके संबंधित खेलों /स्पर्धाओं में खेल प्रमाण पत्र की प्रतियां।

8) उपरोक्त दस्तावेजों वाले लिफाफे पर **खेल कोटा–2021 (खेल/स्पर्धा का नाम) के तहत हेड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी के पद के लिए आवेदन,** जो भी लागू हो, लिखा होना चाहिए।

9) डाक में विलम्ब के लिए सीआईएसएफ ज़िम्मेदार नहीं होगा।

10) आधिकारिक प्रारूप में भरे हुए नहीं होने/अपूर्ण जानकारी/गलत सूचना देने/झूठी जानकारी देने /अपूर्ण अपेक्षित प्रमाण पत्रों/तथ्यों की गलत प्रस्तुति/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/बिना शुल्क के जमा करने/उपयुक्त स्थान पर विधिवत दिनांकित स्वप्रमाणित फोटोग्राफ के बिना आवेदन–पत्र को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11) **अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षिक/खेल/जाति प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को पीएसटी/दस्तावेज़ीकरण/परीक्षण और प्रवीणता परीक्षा के समय उचित जांच/छानबीन के लिए लाने चाहिए। यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में कोई भी आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे खारिज कर दी जाएगी और पुरुष/महिला अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को निरस्त करने के अधीन किसी अन्य दिन दस्तावेजीकरण करवाने के संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और उन्हें भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

12) अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्होंने अर्हता प्राप्त की है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे चरण/कार्यक्रम से अनुपस्थित रहता है जिसके लिए उसने अर्हता प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13) **भर्ती के दौरान "डोप नियंत्रण लागू किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती के दौरान या प्रदर्शन बढ़ाने के**

लिए किसी भी दवा का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14) एक सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बल विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपाय और आधुनिक साधनों का प्रयोग करेगा।

15) विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने और विना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, इसमें उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेषों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।

16) हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में कोई अन्य प्रमाण–पत्र हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ विधिवत सत्यापित करके संलग्न करें, अन्यथा इस पर विचार नही किया जाएगा।

17) किसी भी रूप में प्रचार करने या बाहरी प्रभाव लाने से अभ्यर्थी को बिना किसी सूचना के आगे की परीक्षा में बैठने से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

18) जो आवेदन निर्देश के अनुसार नहीं भरे गए हैं या फिर आंशिक रूप से भरे हुए हैं, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों से आवेदन–पत्रों को अस्वीकार किया जा सकता हैः

क) अधूरा या अस्पष्ट और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया हुआ ।
ख) महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर 100/– रुपये (एक सौ रुपये मात्र) के पोस्टल ऑर्डर/भारतीय स्टेट बैंक से बैंक ड्राफ्ट के बिना।
ग) अहस्ताक्षरित/अदिनांकित आवेदन–पत्र अथवा चिपकाए गए फोटो पर दिनांकित (**अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं**) हस्ताक्षर के बिना आवेदन ।
घ) सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियों को संलग्न न करना।
ड़) कम आयु/अधिक आयु वर्ग के उम्मीदवार।
च) आवेदन–पत्र जमा करने के समय अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का न होना।
छ) संबंधित खेलों/स्पर्धाओं के अपेक्षित खेल प्रमाण पत्र नहीं होना।
ज) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए यथालागू प्रपत्र (**परिशिष्ट–'क' से 'ड़'**) का नहीं होना।
झ) अंग्रेजी या हिंदी में आवेदन–पत्र नहीं भरा हुआ होना ।
ञ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना। सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। (जैसा कि इस अधिसूचना में निर्धारित है)
ट) इस अधिसूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद आवेदन–पत्र प्राप्त होना ।
ठ) कोई अन्य अनियमितता जैसे कटे–फटे या क्षतिग्रस्त आवेदन/दस्तावेज आदि।

19) अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी व्यवस्था पर 4 से 6 दिनों के आवास के लिए विधिवत रूप से तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

20) पूर्वानुमानित बड़ी संख्या में आवेदन–पत्रों को देखते हुए, आवेदन–पत्रों की विस्तृत जांच तथा पात्रता और अन्य पहलुओं की जांच को पीएसटी/परीक्षण जांच से पहले नहीं किया जाएगा और इसलिए, आवेदन–पत्रों को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों, खेल आदि को अच्छे से पढ़ लें और आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। जांच शुरू किए जाने पर, **यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।**

21) दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय अगर कोई भी कमी नहीं पाई जाती हैं और बाद के चरण में पाई गई/देखी गई तो अभ्यर्थी को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भर्ती में बाद के स्पर्धाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22) सही अभिरूचि, क्षमता, फिटनेस और संबंधित खेल/स्पर्धाओं और पात्रता का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

23) **दिव्यांग अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

24) आवेदन–पत्र जमा करने और पीएसटी/परीक्षण परीक्षा/प्रवीणता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उम्मीदवार हेल्प लाइन नंबर **011–24366431/24307933/ 24307927/ 24307910** पर संपर्क कर सकते हैं।

25) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के लिए आने से पहले परीक्षण/प्रवीणता के लिए पर्याप्त

अभ्यास करें। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए सीआईएसएफ या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

26) कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून अनुसार कार्रवाई के लिए उतरदायी होगा। अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सीआईएसएफ में भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

27) दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

28) आवेदक के चयन/नियुक्ति के बाद उनकी किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए आवेदक की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

29) पात्रता, आवेदन पत्रों के स्वीकार अथवा रद्द किए जाने, चयन के तरीके, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, दक्षता परीक्षा की विधि/प्रक्रिया, चिकित्सा परीक्षण आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी जांच/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

30) **महानिदेशक, केऔसुब को बिना कोई कारण बताए भर्ती में परिवर्तन करने, रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार है।** इसके अलावा, यहां पर उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार बदल सकती है।

31) भर्ती के विभिन्न चरणों में सफल होना तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच या इसके बाद ऐसी पूछताछ से संतुष्ट न हो जिससे कि आवेदक को सेवा/पद में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है।

32) भर्ती प्रकिया के अंत में चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उन्हें नियुक्ति दे दी गई है क्योंकि नियुक्ति का ऑफर अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में प्रत्येक क्षेत्र/खेल के लिए आबंटित रिक्तियों के अनुसार ही किया जाएगा ।

33) चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रषिक्षण केन्द्रों में मूल प्रषिक्षण प्राप्त करना होगा जिसके लिए उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव पत्र के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रषिक्षण को उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है, वे दो बर्षों की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कारण से अयोग्य पाया जाता है तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

34) चयन होने पर अभ्यर्थी समय–समय पर जारी किए गए यथा लागू ऐसे सभी सरकारी दिशा–निर्देशों/नियमों के साथ–साथ केऔसुब अधिनियम और नियमावली द्वारा अधिशासित होंगे।

35) केऔसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध ईमानदार और अच्छे उम्मीदवारों को भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए उम्मीदवारों को "**दलालों से सावधान**" रहने की सलाह दी जाती है।

36) नियुक्ति का प्रस्ताव भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है।

37) अपेक्षित प्रपत्रों आदि के साथ अधिसूचना केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती की वेबसाइट **https://cisfrectt.in** पर उपलब्ध है।

38) पीएसटी/दस्तावेजीकरण/परीक्षण और प्रवीणता परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने की तिथि बाद में तय की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती की वेबसाइट **https://cisfrectt.in** पर जाना आवष्यक है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वूपर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भर्ती करवाने के बदले पैसे की मांग करता है, तो तत्काल भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें अथवा व्यक्ति का नाम लेते हुए ईमेल ac-rectt@cisf.gov.in के माध्यम से सूचित करें।

केऔसुब में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र

अनुक्रमांक ....(आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

अपना हाल ही का विधिवत रूप से दिनांकित पासपोर्ट आकार का स्व–सत्यापित रंगीन फोटो तिथि सहित लगाएं (फोटो इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से तीन महीने पुराना न हो)

1.	आवेदित पद	:	____________________
2.	नाम (बड़े अक्षरों में)	:	____________________
3.	पिता का नाम	:	____________________
4.	स्थायी पता	:	------------------------------- -------------------------------
5.	वर्तमान आवासीय पता	:	____________________
6.	राज्य का नाम जिससे मूल रूप से संबंधित हैं	:	____________________
7.	लिंग (पुरूष / महिला)	:	____________________
8.	धर्म	:	____________________
9.	जन्म तिथि	:	____________________
10.	अंतिम तिथि को आयु	:	_______ वर्ष ____महीना _ दिन
11.	शैक्षिक योग्यता	:	____________________
12.	शारीरिक मानक	:	क. उंचाई................सेमी, ख. सीना.....................सेमी.................................सेमी (सामान्य) (फुलाव) ग. वजन ....किग्रा
13.	क्या सामान्य / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है	:	____________________
14.	क्या पहाड़ी पुरूष / महिला से संबंधित हैं?	:	____________________
15.	खेलों / स्पर्धाओं का नाम	:	____________________
16.	प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ खेलकूद की उपलब्धियां	:	1. .... 2.. 3..

17.	पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट	सं.	दिनांक..	राशि..
		....	....	....
		....	....	....

घोषणा

मैं...एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विष्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। यदि कोई सूचना झूठी अथवा असत्य पायी जाती है अथवा परीक्षा से पहले अथवा बाद में मेरी अपात्रता सामने आती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और भर्ती के लिए मेरे दावे को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि किसी चरण में चयन बोर्ड द्वारा मुझे परीक्षा में गलत साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है अथवा चयन प्रकिया के शिष्टाचार को अधिशासित करने वाले नियमों / विनियमों का उल्लंधन होता है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है अथवा चयन बोर्ड द्वारा अपने विवेक के आधार पर मुझे अनुतीर्ण घोषित किया जा सकता है। यदि मेरे चयन के पश्चात मेरे आवदेन पत्र में गलतियां पकड़ी जाती है तो मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान :–......................................

दिनांक :–....................................

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा

मैं, ...पुत्र/पुत्री श्री...ग्राम/षहर/नगर ....जिला......................................राज्य..घोषणा करता हूँ कि मैं ....समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक और प्रषिक्षण कार्यालय विभाग के ज्ञापन संख्या 36012/22/93/एससीटी दिनांक 08.09.1993 में शामिल आदेषों के अनुसार सेवा में आरक्षण के उद्देष्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 और संषोधित भारत सरकार डीओपीटी का.ज्ञा.संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 और का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 14.10.2008 के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नही हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

क्रम संख्या..जांच करने वाले अधिकारी का नाम...

पर्यवेक्षण/टिप्पणियां

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित

प्रवेश पत्र

(अलग कागज पर छापा जाये/टाईप किया जाये/लिखा जाये)
(अभ्यर्थी को इस प्रवेष पत्र को प्रस्तुत किये बिना भर्ती प्रकिया में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा)

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए

पद और खेलकूद स्पर्धा/क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया : **प्रधान आरक्षक/जीडी** ....

1.	नाम	:	______________	अपना हाल ही का विधिवत रूप से दिनांकित पासपोर्ट आकार का स्व–सत्यापित रंगीन फोटो तिथि सहित लगाएं (फोटो इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से तीन महीने पुराना न हो)
2.	पिता का नाम	:	______________	
3.	डाक का पता	:	______________ -------------------------------- --------------------------------	
4.	पहचान चिह्न	:	______________	
5.	जन्म तिथि	:	______________	
6.	क्या सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. से संबंधित हैं?	:	______________	
7.	क्या पहाड़ी या आदिवासी है?	:	______________	

नोट : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व,/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/पहाडी/आदिवासी के मामले में आयु, 'kS{kf.kd अर्हता, जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण पत्रों के साथ खेलकूद प्रमाण पत्र, तथा अन्य स्त्रोत साथ लेकर आएं।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा

अनुकमांक.______________________

1.	पद और खेलकूद स्पर्धा/क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया	:	______________
2.	पूरा पते सहित भर्ती केन्द्र का नाम	:	______________ ______________ ______________ ______________
3.	भर्ती की तारीख	:	______________
4	भर्ती केन्द्र पर उपस्थित होने का समय	:	__________ बजे

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 3

सीआईएसएफ के कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. श्री / कुमारी / श्रीमती...केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अंतर्गत ....के रैंक में एक स्थायी / अस्थायी पद धारक हैं।
2. उन्होंने ....को इस विभाग / अधिकारी के पास अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
3. श्री / कुमारी / श्रीमती...का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु चयन होने पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान :...

दिनांक:..

कार्यालय मुहर के साथ कार्यालय / विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

नोट:– सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन–पत्र उपर्युक्त प्रमाण–पत्र के साथ उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट –'क'

प्रपत्र–1

(मान्यता प्राप्त खेलों / खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)
...का राष्ट्रीय परिसंघ / राष्ट्रीय फेडरेशन

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार हेतु एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री.. निवासी...(पूरा पता) ने देश का प्रतिनिधित्व ....से..तक संपन्न हुई .... प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में एकल / टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....रहा।

यह प्रमाण पत्र ....के राष्ट्रीय परिसंघ / राष्ट्रीय फेडरेशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर...

नाम..

पदनाम..

परिसंघ / राष्ट्रीय फेडरेशन का नाम........................

पता...

मुहर...

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राष्ट्रीय परिसंघ / राष्ट्रीय फेडरेशन के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट –'ख'

प्रपत्र–2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

....के खेल में ....का एक राज्य फेडरेषन।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..निवासी...(पूरा पता) ने .... से...तक संपन्न हुई .... प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....था।

यह प्रमाण पत्र ....राज्य फेडरेषन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..

नाम...

पदनाम...

राज्य फेडरेषन का नाम...

पता..

मुहर..

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य संघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट –'ग'

प्रपत्र–3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में अन्तर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक विष्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

..विष्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.. निवासी..(पूरा पता) ने विष्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व .... से...तक संपन्न हुई ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ....खेल/स्पर्धा में किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....था।

यह प्रमाण पत्र ....विश्वविद्यालय में समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..

नाम...

पदनाम...

विश्वविद्यालय का नाम...

पता..

मुहर..

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे विश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट –'घ'

प्रपत्र–4

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में विद्यालय के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.................................राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेषालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोज़गार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.. निवासी..(पूरा पता) ने .... से ....तक आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में.. खेल/स्पर्धा में ....राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....था।

यह प्रमाण पत्र ....लोक अनुदेषक/निदेषालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर...
नाम...
पदनाम...
पता..
मुहर...

<u>टिप्पणी</u> : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट –'ड.'

प्रपत्र–5

(शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए शारीरिक दक्षता निष्पादन में पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों के लिए)

भारत सरकार/शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री. ....निवासी...(पूरा पता) ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व .... से...तक संपन्न हुई.. .... खेल स्पर्धा में किया।

यह प्रमाण पत्र शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर...

नाम...

पदनाम...

पता..

मुहर...

<u>टिप्पणी</u> : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में सचिव अथवा शारीरिक दक्षता का समग्र दायित्व संभाल रहे किसी अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

ifjf'k"V–च

dn ;k lhus dh eki esa NwV pkgus okys vH;fFkZ;ksa }kjk izLrqwr fd, tkus okys izek.k i= dk izk:i

izekf.k.kr fd;k tkrk gS fd Jh@dqekjh -------------------------------------iq=@iq=h] Jh ---------------------------------xkao--------------------------------------- rglhy@rkyqdk------------------------------ ftyk------------------------------jkT;-------------------------ds LFkk;h fuoklh gSaA

2- vkxs ;g izekf.k.kr fd;k tkrk gS fd %&

- ❖ vH;FkhZ xksj[kk] x<+okyh] dqekÅauh] Mksxjk] ejkBk vkSj vkfnoklh dh Js.kh esa gSaA
- ❖ mi;qZDr iq:"k@efgyk -------------------------------------vkfnoklh tkfr ls laca/k j[krs gSaA

LFkku :... gLrk{kj ....

fnukad:... ftyk eftLVªsV@mi izHkkxh;

eftLVªsV@rglhynkj

^tks ykxw u gks mls dkV nsaA*

lkfjf'k"V **N**

iz'ukoyh&izi=

1-	D;k vkidks dHkh fdlh U;k;y; ;k U;kf;d laLFkku }kjk nks"kh djkj fn;k x;k gS \	gka@ugha
2-	D;k vkids f[kykQ U;k;ky; esa dksbZ eqdnek yafcr gS \	gka@ugha
3-	D;k vkids f[kykQ dHkh dksbZ izkFkfedh ntZ dh xbZ gS rFkk vkids fo:) ekeyk yafcr gS \	gka@ugha
4-	D;k iwoZ esa dHkh vkids fo:) dksbZ izkFkfedh ntZ dh xbZ Fkh \	gka@ugha
d½	;fn gka rks ekeyk la[;k vkSj fdl /kkjk ds rgr izkFkfedh ntZ dh xbZ Fkh \	
[k½	tgka izkFkfedh ntZ dh xbZ Fkh ml Fkkus dk uke \	
x½	D;k ekeys esa vkjksi i= tkjh fd;k x;k Fkk vFkok ,Q-vkbZ-vkj- ntZ dh x;h \	
?k½	;fn vkjksi i= fn;k x;k Fkk rks U;k;ky; ds fu"d"kZ D;k Fks \	
	1- nks"kh	
	2- foeqDr	
	3- le>kSrs ds vk/kkj ij	
	4- la;ksftr	
	5- dksbZ vU; rks mYys[k djsa	
5-	D;k vkidks dHkh dsUnzh; ;k jkT; ljdkj dh lsok ls c[kkZLr fd;k x;k gS \	gka@ugha
6-	D;k vkidks ifjoh{kk ds nkSjku dHkh lsok ls fu"dkf"kr fd;k x;k gS \	gka@ugha

;fn mijksDr es ls fdlh dk Hkh tokc gka gS rks d`i;k iw.kZ fooj.k vyx i`"B ij nsa A

opuc)rk

eSa] --- ?kksf"kr djrk gwawW fd mijksDr lwpuk esjs tkudkjh vkSj fo'okl ls iw.kZr;k lR; gSa A eS ;g le>rk gWaw fd vxj mDr lwpuk feF;k ;k vlR; ikbZ tkrh gS rks esjh mEehnokjh dks lekIr fd;k tk, vkSj blds vykok esjs mij foHkkxh; ;k U;kf;d izfØ;k dh dkjZokbZ Hkh dh tk ldrh gS A

vkosnd ds gLrk{kj--

uke---

LFkku % ---------------------------- firk dk uke------------------------------

fnukad % ---------------------------- irk--

परिषिष्ट–'ज'

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर .... जो जिला/खंड......................राज्य/ संघ शासित क्षेत्र ....जाति/जनजाति* से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में निम्नानुसार की गई है ।

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@

'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951@

'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 @

(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)

'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@

'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@

'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@

'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@

'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@

'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1991@

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन अधिनियम) 2002@

2. '' एक राज्य/संध शासित प्रदेश/प्रशासन से दूसरे राज्य प्रवास कर गए अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर लागू।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती* .... के पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी* ....गांव/नगर'*..............................जिला/खंड* ....राज्य/संधशासित क्षेत्र* .... जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र....................................में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है.. (निर्धारित जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .... दिनांक ....को जारी किया गया ।

#3 श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर .... जिला/खंड*... ....राज्य/संधशासित क्षेत्र* ....में साधारणतया रहते है ।

हस्ताक्षर...........................

स्थान ....

*पदनाम..........................

दिनांक ....

राज्य/संघीय क्षेत्र....................

*जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

@ कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।

उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप' से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

1) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।

4) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

<u>टिप्पणी</u> : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व खण्ड अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

<u>परिशिष्ट–'झ'</u>

<u>अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री*,श्री...गांव/नगर*......................................जिला/प्रभाग*............................... .राज्य/संघ शासित क्षेत्र*..के ....समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक.. .... के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संध शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल.. में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग 36012/22/93 ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

स्थान.................................... हस्ताक्षर....................................

दिनांक..................................... **पदनाम....................................

(कार्यालय की मोहर सहित)

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर संषोधित।

टिप्पणी :– यहां ''सामान्य शब्द'' का प्रयोग उसी तरह से किए जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

––––

परिशिष्ट–'ञ'

....सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और संपत्ति का प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं... **दिनांक...**

..वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.. .. ग्राम/गली...पिन कोड..के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :–

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................जो...जाति से संबंधित हैं,जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का हस्ताक्षरित फोटो	हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित......................... नाम... पदनाम..

* नोट : 1. आय सभी स्त्रोंतो को कवर करती है यानि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और भाई–बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न शहरों/षहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

नोट : 4. निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण–पत्र केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिष्नर/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीददार के पद से नीचे का नही होना चाहिए।
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते है।

डीएवीपी 19113/11/0005/2122